

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 799/2023**

IN THE MATTER OF: -

Ritisha Gond

Applicant

VERSUS


Union Of India and Others

Respondents

**COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 18-SHRI
MANISH KHUSLANI.**
INDEX

SR NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Counter Affidavit on behalf of Respondent no. 18.	1-12
2.	Annexure R-1 A copy of the agreement dated 02-08-2022.	13-28
3.	Annexure R-2 A copy of the show cause-demand notice dated 20-07-2023.	29-30
4.	Annexure R-3 A copy of reply dated 27-07-2023 to the show cause notice dated 20-07-2023.	31-33
5.	Annexure R-4 A copy of letter dated 02-08-2023 containing report dated 19-07-2023.	34-36
6.	Annexure R-5 A copy of representation dated 5-08-2023.	37-39
7.	Annexure R-6 A copy of the order dated 08-08-2023.	40-41
8.	Annexure R-7 A copy of the representation dated 16-08-2023.	42-44
9.	Annexure R-8 A copy of order dated 21-11-2023 passed by the Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh.	45-46
10.	Annexure R-9 A copy of proof of furnishing compliance report.	47

ADVOCATES FOR THE RESPONDENT NO. 18



AVINISH KUMAR SAURABH/ ASHISH CHAUBEY

Office-B-29, LGF, Defence Colony
New Delhi, 110024

Email: avinish4445@gmail.com

Mob: 9973617748/783829640

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL AT NEW
DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 799/2023

IN THE MATTER OF:-

Ritisha Gond

Applicant

VERSUS

Union Of India and Others

Respondents

COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT

NO. 18-SHRI MANISH KHUSLANI.

1. The respondent herein was served with notice of the above-mentioned O.A. and in reply present counter affidavit is being filed.
2. At the outset, the respondent submits that he is trying to deal with all the contentions raised in the O.A on behalf of the Applicant. However, nothing shall be deemed to have been admitted on the part of the respondent unless a specific admission herein is made by the respondent.
3. That the contention raised in para 2 of the OA is denied in toto, present respondent has never indulged in the any illegal mining in the area allotted to him. Present respondent has been taking all due care and caution to prevent kind of pollution in the area allocated to him or in the adjacent area.

- 3.1 That para no. 3, 4 & 5 are formal and do not required reply.
- 3.2 That para no. 6 to 17 are general in nature and not directly related to the case of the respondent and require factual verification, hence, the respondent does not accept the contentions raised in para 6 to 19 of the OA.
- 3.3 That contention raised in para no 18 of the OA is repetition, hence denied again.
- 3.4 That the fact stated in para no. 19 is general and does not require a reply.
- 3.5 That contentions raised in para no. 20, regarding illegal mining beyond permitted level in the approved leased area and in the forest area, by the use of heavy drilling/blasting machines as well as uncontrolled blasting at village Billi Markundi, Pargana Agori, Tehsil Obra, District-Sonbhadra, on Arazi No. 5593 Ka (Khand-8) causing environmental degradation, extraction of ground water, emission of dust, impact on flora and fauna in the area, also violation of Section 25 Water Prevention and Control of Pollution Act, 1974, along with violations of other provisions of Air Prevention and Control of Pollution Act, 1981, Indian Forest Act, 1927, Forest Conservation Act 1980, etc., Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules

2021 as well as Mines and Minerals (Development and Regulation Act, 1957), is denied in toto.

- 3.6 That the facts stated in para no. 21 is also denied, being the half fact stated in the present OA to cause disadvantage to the present respondent.
- 3.7 That fact stated in para no. 22 & 23 are not related to present respondent, hence, do not deserve reply.
- 3.8 That fact stated in para no. 24 is half and intended to cause prejudice, hence, denied in toto. Facts of the said para, respondent will be dealing with in details, ahead in this counter.
- 3.9 That facts stated in paras no. 25 & 26 are not related to present respondent, hence, do not deserve reply.
- 3.10 That contention raised in para no. 27 is repetition and have already replied as denied, hence deserve no reply.
- 3.11 That contentions raised in para no. 28 & 29 are false and misleading and present respondent denied the same.
- 3.12 That contentions raised in para 30 is false, misleading and repetition which have already been replied, hence, deserve no reply.
- 3.13 That contentions raised in para no. 31 are baseless, without any legs and attracts dismissal of the OA at the first instance.

- 3.14** That para no. 32 & 33 are reference of the decided OAs of by the Hon'ble Tribunal, hence, no reply required for now.
- 3.15** That para no. 34 & 35 are formal in nature and do not required reply.
- 4.** That the grounds taken in para no. 36 to 50 are just formal and baseless, even lengthy citation of decides cases and its paras do not provide any support to the case of applicant. Hence, deserve no consideration and attracts dismissal of the OA with cost.
- 5.** Brief facts of the OA.
- 5.1** The present respondent-R18 entered into an agreement dated 02-08-2022, with District Magistrate Sonebhadra-R11, after e-auctioning, for mining (Gitti Bolder Dolo Stone) for the period from 02-08-2022 to 01-08-2032, area allocated was Arazi No. 5593Ka (Khand-8), Rakba 4.230 Hectare. A copy of the agreement dated 02-08-2022 is annexed herewith as **ANNEXURE R-1 at page 13-28** .
- 5.2** The Directorate of Geology and Mining vide its letter dated 30-11-2021, approved the mining plan of the present respondent for Arazi No. 5593Ka (Khand-8), Rakba 4.230 Hectare.
- 5.3** Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, vide letter dated 01-07-2022 granted Environmental Clearance (EC) to K. D

Resources Pvt. Ltd.-R-18, for the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006.

- 5.4** A Mining and Revenue Team on 03-06-2023 conducted an inspection in the premises (lease area) of the present respondent, it is important to note that, the said team had not found illegal mining by the respondent in the allocated lease area.
- 5.5** It is further submitted that on 12-06-2023, Ld. Uppar Aayukt (Commissioner) conducted an inspection of area allocated to the respondent for mining, i.e Araza No. 5593Ka (Khand-8), Rakba 4.230 Hectare., where the Ld. Commissioner could not find any illegal mining.
- 5.6** It is further submitted that the Directorate of Geology and Mining had also conducted an intense inspection on 12-07-2023 of the area allocated to the present respondent and area allocated to others lease holders and vide its report dated 13-07-2023 and 14-07-2023, just after a month of Commissioner's inspection, found 4 lease holders guilty of illegal mining, it is important to note that, R-18 name was not in the list of 4 lease holder who were found of doing illegal mining.
- 5.7** It is now further submitted that on 19-07-2023 a committee was constituted for physical verification and inquiry of illegal mining in the allocated. This committee had conducted physical verification and

suddenly in a shocking manner alleged in its report dated 19-07-2023 that present respondent has done illegal mining of 1877.12 Ghan-meter outside the area allocated to it. It is humbly submitted that the said report is totally based on half- incomplete facts, without considering illegal mining done by previous leaseholder and penalty imposed on them, which bound have an error result.

- 5.8** On the very next day, i.e. dated 20-07-2023, present respondent received a notice from R11- District Magistrate, Sonebhadra, stating that the Directorate of Geology and Mining had conducted survey and reported illegal mining of 1877.12 Ghan-meter, outside the area allocated to it, towards south side, and imposed a penalty of Rs 19,07,840/-. This penalty was to be deposited within 7 days from the date of notice. This *ex-parte* order, demanding a penalty of the above-stated amount was passed against the present respondent without giving a chance of hearing to the respondent R-18. Present respondent had received notice dated 20-07-2023 on its email on 21-07-2023 at 4:00 pm. A copy of the show cause-demand notice dated 20-07-2023 is annexed herewith as **ANNEXURE R-2 at page 29-30**.

It is important to note that, in an unusual & shocking manner, OTP service of the present respondent, which

is necessary to carry on daily work of mining, was stopped without giving the respondent a chance of hearing. This action of the R-11-District Magistrate is clearly an arbitrary action and against the principal of natural justice, which cannot sustain in the eye of law.

- 5.9** The present respondent on 27-07-2023 replied to the show cause notice dated 20-07-2023 and explained the facts, in details that it has not done any illegal mining, which are alleged against the present respondent. A copy of reply dated 27-07-2023 to the show cause notice dated 20-07-2023 is annexed herewith as **ANNEXURE R-3 at page no. 31-33**
- 5.10** The District Magistrate-R-11, pursuant to the reply dated 27-07-2023 by the respondent, supplied the copy of inspection report date 19-07-2023 vide it letter dated 02-08-2023 which was received by the respondent on his official email on 04-08-2023 at around 3:00 pm. A copy of letter dated 02-08-2023 containing inspection report dated 19-07-2023 is annexed herewith as **ANNEXURE R-4 at page no. 34-36**.
- 5.11** The present respondent made another representation date 05-08-2023 to the R-11 stating the facts and considering it requested for quashing of order dated 20-07-2023 passed by it and resumption of suspended OTP service. A copy of representation dated 05-08-

2023 is annexed herewith as **ANNEXURE R-5 at page no. 37-39**.

5.12 The District Magistrate, Sonbhadra R-11, without considering the reply date 27-07-2023 and representant date 05-08-2023 of the respondent, without verifying the factual history of the alleged illegal mining, vide its order 08.08.2023 imposed penalty of Rs 19,07,840/- on R-18, which was to be deposited within 7 days of receipt of the order. A copy of the order dated 08-08-2023 is annexed herewith as **ANNEXURE R-6 at page no. 40-41**.

5.13 Present respondent was forced to deposit the penalty amount of Rs 19,07,840/-, vide cheque no. 907575 of Kotak Mahindra Bank, under protest. Respondent deposited the penalty amount through a representation dated 16-08-2023, because his OTP service essential for carrying mining activities was stopped on 21-07-2023 by the District Magistrate, Sonebhadra-R11 without considering his representations dated 27-07-2023 & 05-08-2023 and also without knowing factual history of the alleged illegal mining. It is submitted that since when OTP service was stopped on 21-07-2023, respondent was not able to carry out mining activities-business, and thus, was incurring huge loss, thus, the respondent herein deposited penalty amount under protest to resume mining work. A copy of

representation dated 16-08-2023 is annexed herewith as **ANNEXURE R-7 at page no. 42-44**

- 5.14** The present respondent aggrieved by the order dated 08-08-2023 passed by the R-11, approached the Directorate of Geology and Mines, Uttar Pradesh for quashing of the order. The Directorate of Geology and Mines heard the facts of the respondent and vide order dated 21-11-2023 have fixed the next date of hearing on 07-12-2023. A copy of order dated 21-11-2023 is annexed herewith as **ANNEXURE R-8 at page no. 45-56**.
- 6.** It is humbly submitted that the District Magistrate, Sonebhadra, failed to consider that the leased agreement date 02-08-2022 is a fresh lease deed with the present respondent in respect of Arazi No. 5593 Ka (Khand -8) Rakba, 4.230-hectare, village- Billi Markundi, Dist. Sonebhadra, which was in the past allocated to M/s Amila Stone for the period from 2002 to 2012.
- 7.** It is humbly submitted that area where alleged illegal mining has been done, were previous allocated to M/s Amila Stone and the same were under their control and maintenance, and it is not possible for other except the lease holder to do illegal mining in the area allocated to leaseholder. It is further submitted that physical inspection of the area allocated to the present
- 8.**

respondent herein was done in the absence of any authorized person from the respondent side. It is highly possible that officer who conducted physical inspection could not have distinguished between area allocated to the present respondent and then to M/s Amila Stone, hence, report is bound have errors. More so, the present respondent is not liable for past illegal mining in the adjacent area of it.

9. It humbly submitted that present respondent has duly filed the compliance report of stipulated specific and general conditions in the environmental clearance dated 01-07-2022 issued by State Level Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA) and no fault of any manner have been found out as of now. Hence, allegation of non-furnishing compliance report to the Joint Committee in its report dated 13-05-2024 is not correct. Copies of email furnishing compliance report are annexed herewith as **ANNEXURE R-9 at page no. 47**.
10. It is humbly submitted that the present OA is barred by limitation as provided under Sections 14 and 15 of the National Green Tribunal Act, 2010. So far, the cause of action first arose in respect to respondent no. 18 is concerned, had first arose much prior to 2012 when the lease period of M/s Amila Stone got over in respect of


Arazi No. 5593 Ka (Khand -8), Rakba- 4.230-hectare, village – Billi Markundi, Dist. Sonebhadra.


11. It is humbly submitted that the present OA is nothing more than a tool to harass the present respondent, who is doing the work of mining absolutely as per the agreement and in accordance with environmental clearances, further the Joint Committee in its report dated 13-05-2024 have not found any illegal mining by the present respondent.
12. Therefore, it is humbly prayed that the present OA may be dismissed with exemplary cost.


Verification

I, Manish Khushlani, S/o Shri Raj Kumar Khushlani, R/o Jabarpatra Gali No. 2, New Sarkanda, District Bilaspur, Chhattisgarh, Pin-495006, proprietor M/s K. D. Resources Pvt. Ltd. Moolchand Complex, Karbala Road, Old Bus Station District Bilaspur, Chhattisgarh, do hereby solemnly affirm and declare that content of the above counter affidavit in paragraphs no. 1 to 11 are true and correct to the best of my knowledge and belief gathered on the basis of records available with me.

Hence, verified at Robertsganj, Sonbhadra, Uttar Pradesh on 28-08-2024.




Deponent
Manish Khushlani



सत्यमेव जयते

I 8509/22

INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

ANNEXURE R-1

Signature: *Sankar Jain*
 A.C.C. Name - Sankar Jain
 A.C.C. Code - UP14757204
 A.C.C. Address - Bishnuil Chauraha,
 Civil Lines, Robertsganj, Sonbhadra
 Mobile No. - 8815461488
 License No. - 119

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP54918980171325U
Certificate Issued Date	: 28-Jul-2022 05:27-PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14757204/ ROBERTSGANJ SADAR/ UP-SNB
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1475720401916939506211U
Purchased by	: KD RESOURCES PVT LTD DIRECTOR MANISH KHUSHALANI
Description of Document	: Article 35 Lease
Property Description	: ARAZI NO 5593 KA (KHAND-8), RAKBA 4.230 HECTARE, GRAM BILLI MARKUNDI, TEHSIL OBRA, DISTT SONBHADRA
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: DIST MAGISTRATE SONBHADRA BEHALF OF GOVERNOR OF UP
Second Party	: KD RESOURCES PVT LTD DIRECTOR MANISH KHUSHALANI
Stamp Duty Paid By	: KD RESOURCES PVT LTD DIRECTOR MANISH KHUSHALANI
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 1,33,19,540 (One Crore Thirty Three Lakh Ninteen Thousand Five Hundred And Forty only)



Please write or type below this line

प्रपत्र-एम.एम. 6
(नियम 29)

खनन के लिए ई-निविदा सह ई-नीलाम पट्टे का प्रपत्र
 यह अनुबन्ध आज 02/08/2022 दिनांक को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें

K. D. Resources Pvt. Ltd.

Director

ज्येष्ठ खान अधिकारि जिलाधिकारी (वि०/स०)
 सोनभद्र प्रभरी जिलाधिकारी (सोनभद्र)
 सोनभद्र

जिलाधिकारी
 सोनभद्र

0000357506

Statutory Alert

1. The validity of this Stamp is conditional and is subject to the terms and conditions of the Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India. The details of the Certificate and its availability can be checked via the Stamp Mobile App. The details of the Certificate and its availability can be checked via the Stamp Mobile App. The details of the Certificate and its availability can be checked via the Stamp Mobile App.



सत्यमेव जयते


INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

Signature- *Sanskar Jain*
 A.C.C. Name - Sanskar Jain
 A.C.C. Code - UP14757204
 A.C.C. Address - Bachauli Chauraha,
 Civil Lines, Robertsonj-Sonbhadra
 Mobile No. - 9315451488
 License No. - 119

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP54929200153187U
 Certificate Issued Date : 28-Jul-2022 05:36 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14757204/ ROBERTSGANJ SADAR/ UP-SNB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1475720402074932688327U
 Purchased by : KD RESOURCES PVT LTD DIRECTOR MANISH KHUSHALANI
 Description of Document : Article 35 Lease
 Property Description : ARAZI NO 5593 KA (KHAND-8), RAKBA 4.230 HECTARE, GRAM BILLI MARKUNDI, TEHSIL OBRA, DISTT SONEBHADRA
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : DIST MAGISTRATE SONBHADRA BEHALF OF GOVERNOR OF UP
 Second Party : KD RESOURCES PVT LTD DIRECTOR MANISH KHUSHALANI
 Stamp Duty Paid By : KD RESOURCES PVT LTD DIRECTOR MANISH KHUSHALANI
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



Please write or type below this line

(2)

आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत, यदि सन्दर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी समझे जायेंगे), और

K. D. Resources Pvt. Ltd.

Manish

Director



Manish
 ज्येष्ठ खान अधिकारी अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/
 सोनभद्र प्रभारी अधिकारी (खनिज)
 सोनभद्र

एक पक्ष

....3 ...

Manish
 जिलाधिकारी
 सोनभद्र

आवेदन सं०: 202201005010267

पट्टा अनुबंध विलेख

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 8569

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 13319540 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 3329900 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 3329980

श्री के डी रिसोर्स प्रा लि-मनीष,
पुत्र श्री राजकुमार खुशालानी
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: जबरपत्र गली नं०-2 न्यू सरकण्डा, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)




ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 08/08/2022 एवं 01:46:51 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय धर्मराज सिंह
उप निबंधक :सदर
सोनभद्र
08/08/2022
सिद्धार्थ सिंह
निबंधक लिपिक
08/08/2022

प्रिंट करें



(3)

के0डी0 रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड पता-ए 6 मूलचन्द्र कॉम्पेक्स, कर्बला रोड, पुराना बस स्टेशन बिलासपुर निदेशक-श्री मनीष खुशलानी पुत्र श्री राजकुमार खुशलानी निवासी जबरपत्र गली नं0-2, न्यू सरकण्डा, बिलासपुर-495001 (छत्तीसगढ़) मो0नं0-8817882247 ई0मेल आईडी kdrplops@gmail.com (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत, यदि सन्दर्भ से ऐसा ग्राह्य हो उसके दायद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)

दूसरा पक्ष

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार किये गये ई-निविदा सह ई-नीलामी में पट्टेदार को वार्षिक खनन योग्य गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) मात्रा 1,35,360 घन मी0 (एक लाख पैंतीस हजार तीन सौ साठ घन मी0 मात्र) के खनन एवं परिवहन के लिए रू0 246/- (रूपये दो सौ छियालिस मात्र) प्रति घन मी0 की दर से प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित नीलामी पट्टा की सकल धनराशि रू0 3,32,98,560/- (रूपये तीन करोड़ बत्तीस लाख अन्तानबे हजार पांच सौ साठ मात्र) एवं इसी दर पर अनुवर्ती/आगामी 10 वर्ष हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी पट्टा की धनराशि निर्धारित करने के आधार पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के लिए उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के प्रथम अनुसूची के भाग-1 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में 4.230 हेक्टेयर के लिए स्वीकार कर लिया गया है और उसने प्रतिभूति स्वरूप प्रथम वर्ष की कुल धनराशि का पच्चीस प्रतिशत रू0 83,24,640/- (रूपये तिरासी लाख चौबीस हजार छः सौ चालीस मात्र) की धनराशि चालान संख्या-II00085 दिनांक 18.09.2021 द्वारा राज्य सरकार के पास जमा कर दी है।

उक्त क्षेत्र से गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) का खनन व परिवहन करने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ के पत्र संख्या-2021/11/11/91282 दिनांक 30.11.2021 द्वारा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त है। State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), लखनऊ के EC Identification No. EC22B001UP164590 File No. 7057-6724 दिनांक 01.07.2022 द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।

....4....

K. D. Resources Pvt. Ltd.

K. D. Resources Pvt. Ltd.

Director



ज्येष्ठ खान अधिकारी
सोनभद्र

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
प्रभारी अधिकारी (खनिज)
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

आवेदन सं०: 202201005010267

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 8569


वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पदटा दाता: 1

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री जिलाधिकारी, पुत्र श्री 0

ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिए उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है और लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।



पदटा गृहीता: 1

श्री के डी रिसोर्स प्रा लि-मनीष, पुत्र श्री राजकुमार खुशलानी

निवासी: जबरपत्र गली नं०-8 न्यू सरकण्डा, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

व्यवसाय: व्यापार



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री सचिन अग्रवाल, पुत्र श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल

निवासी: एच0नं0-62 ट्रांसपोर्ट नगर जनपद कोरबा (छत्तीसगढ़)

व्यवसाय: व्यापार

पहचानकर्ता: 2



श्री रवि जालान, पुत्र श्री स्व0 निरंजन जालान

निवासी: उत्तर मुहाल तह0रा0गंज-सोनभद्र

व्यवसाय: व्यापार



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

अजय धर्मराज सिंह

उप निबंधक : सदर

सोनभद्र

08/08/2022

सिद्धार्थ सिंह

निबंधक लिपिक सोनभद्र

08/08/2022

प्रिंट करें

(4)

यह इसका साक्ष्य है कि इस उपस्थापन-पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उसमें दिए गये पट्टेदार की ओर से भुगतान किए जाने वाले, पालन तथा सम्पादन किए जाने वाले स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्वारा पट्टेदार को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करता है।

गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) (जिन्हे आगे और अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त" "खनिज" कहा गया है), की समस्त खान, तल्प (beds), संदर सीम्स(veins seams) जो एतदधीन अनुसूची के भाग-1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, के साथ, जिसके सम्बन्ध में उन प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जायेगा जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हों सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रताओं, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेंगे। दिनांक 02/08/2022 से दिनांक 01/08/2032 तक 10 वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार को एतद्वारा दिए गए और पदान्तरित ऐसे भू-गृहादि धारण करना, जिनसे खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को एतदधीन अनुसूची के भाग-2 में उल्लिखित नीलामी धनराशि का भुगतान उसमें निर्दिष्ट भिन्न-भिन्न समयों पर होने लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग के उपबन्धों के अधीन हो और पट्टेदार एतद्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है, और राज्य सरकार एतद्वारा पट्टेदार के साथ प्रसंविदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है और एतद्वारा इसके साथ दिए गए पक्षों के बीच परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि एतदधीन अनुसूची के भाग-3 में अभिव्यक्त है।

....5....

K. D. Resources Pvt. Ltd.

Director

ज्येष्ठ खान अधिकारी
सोनभद्र

अपर जिलाधिकारी (विठ/रा०)
प्रभारी अधिकारी (खनिज)
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

(5)

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग-1

इस खनन पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र : यह समस्त भू-खण्ड, जो जनपद-सोनभद्र में तहसील ओबरा अन्तर्गत ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या-5593क (खण्ड-8) रकबा-4.230 हेक्टेयर, जो यहां संलग्न नक्शे में चिह्नित है और उसे लाल स्याही से रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैं :-

उत्तर: आराजी संख्या-5593 का शेष भाग।

दक्षिण: आराजी संख्या-5593 का शेष भाग।

पूरब: आराजी संख्या-5593 का शेष भाग में नीलकण्ठ माइनिंग के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र।

पश्चिम: आराजी संख्या-5594, 5590 व 5593 का शेष भाग।

क्षेत्र का अक्षांश व देशान्तर निम्नवत् है:-

अक्षांश (Latitude) व देशान्तर (Longitude)			
'N' Pillar		'E' Pillar	
A	24°29' 14.46"N	A	83°00' 11.61"E
B'	24°29' 19.18"N	B'	83°00' 10.45"E
B	24°29' 21.51"N	B	83°00' 09.89"E
C	24°29' 21.06"N	C	83°00' 13.23"E
C'	24°29' 20.60"N	C'	83°00' 13.09"E
D	24°29' 19.83"N	D	83°00' 12.98"E
E	24°29' 19.40"N	E	83°00' 14.86"E
F	24°29' 19.96"N	F	83°00' 15.08"E
G	24°29' 19.34"N	G	83°00' 19.31"E
H	24°29' 13.31"N	H	83°00' 17.69"E

और जिसे एतद्वारा "उक्त भू-खण्ड" कहा गया है।

जी०पी०एस० निर्देशांक बिन्दु B' B C C' B' के अन्तर्गत का क्षेत्र, वन भूमि से सुरक्षित दूरी 100 मीटर के अन्दर आ रहा है, जिसके कारण उक्त क्षेत्र बिन्दु B' B C C' B' के अन्दर खनन एवं परिवहन कार्य प्रतिबन्धित रहेगा। खनन पट्टाधारक द्वारा बिन्दु A, B', C', D, E, F, G, H, A में ही खनन कार्य किया जायेगा।

....6...

K. D. Resources Pvt. Ltd.

Director

ज्येष्ठ खान/अधिकारी अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
सोनभद्र प्रभारी अधिकारी (खनिज)
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

(6)

भाग-2

जमा की जाने वाली ई-निविदा सह ई-नीलामी की धनराशि
(नियम-27(3))

स्वामित्व की धनराशि : (1) पट्टेदार, इस पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को पट्टे पर दिए गये क्षेत्र में उसके द्वारा हटाये गये गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) (उपखनिज) के सम्बन्ध में निम्नलिखित नीलामी धनराशि का भुगतान करेगा :-

वर्ष	प्रथम किरत (12%) व देय तिथि	द्वितीय किरत (रु० में) (8%) व देय तिथि	तृतीय किरत (रु० में) (8%) व देय तिथि	चतुर्थ किरत (रु० में) (8%) व देय तिथि	पंचम किरत (रु० में) (8%) व देय तिथि	षष्ठम् किरत (रु० में) (8%) व देय तिथि	सप्तम किरत (रु० में) (8%) व देय तिथि	अष्टम् किरत (रु० में) (8%) व देय तिथि	नवम् किरत (रु० में) (8%) व देय तिथि	दशम् किरत (रु० में) (8%) व देय तिथि	ग्यारहवीं किरत (रु० में) (8%) व देय तिथि	बारहवीं किरत (रु० में) (8%) व देय तिथि	कुल धनराशि (रुपये में)
प्रथम वर्ष	39,95,827 जमा 01.08.2023	26,63,885 जमा 01.09.2023	26,63,885 जमा 01.10.2023	26,63,885 जमा 01.11.2023	26,63,885 जमा 01.12.2023	26,63,885 जमा 01.01.2024	26,63,885 जमा 01.02.2024	26,63,885 जमा 01.03.2024	26,63,885 जमा 01.04.2024	26,63,885 जमा 01.05.2024	26,63,885 जमा 01.06.2024	26,63,885 जमा 01.07.2024	3,32,98,560
द्वितीय वर्ष	39,95,827 01.08.2023	26,63,885 01.09.2023	26,63,885 01.10.2023	26,63,885 01.11.2023	26,63,885 01.12.2023	26,63,885 01.01.2024	26,63,885 01.02.2024	26,63,885 01.03.2024	26,63,885 01.04.2024	26,63,885 01.05.2024	26,63,885 01.06.2024	26,63,885 01.07.2024	3,32,98,560
तृतीय वर्ष	39,95,827 01.08.2024	26,63,885 01.09.2024	26,63,885 01.10.2024	26,63,885 01.11.2024	26,63,885 01.12.2024	26,63,885 01.01.2025	26,63,885 01.02.2025	26,63,885 01.03.2025	26,63,885 01.04.2025	26,63,885 01.05.2025	26,63,885 01.06.2025	26,63,885 01.07.2025	3,32,98,560
चतुर्थ वर्ष	39,95,827 01.08.2025	26,63,885 01.09.2025	26,63,885 01.10.2025	26,63,885 01.11.2025	26,63,885 01.12.2025	26,63,885 01.01.2026	26,63,885 01.02.2026	26,63,885 01.03.2026	26,63,885 01.04.2026	26,63,885 01.05.2026	26,63,885 01.06.2026	26,63,885 01.07.2026	3,32,98,560
पंचम वर्ष	39,95,827 01.08.2026	26,63,885 01.09.2026	26,63,885 01.10.2026	26,63,885 01.11.2026	26,63,885 01.12.2026	26,63,885 01.01.2027	26,63,885 01.02.2027	26,63,885 01.03.2027	26,63,885 01.04.2027	26,63,885 01.05.2027	26,63,885 01.06.2027	26,63,885 01.07.2027	3,32,98,560
षष्ठम् वर्ष	39,95,827 01.08.2027	26,63,885 01.09.2027	26,63,885 01.10.2027	26,63,885 01.11.2027	26,63,885 01.12.2027	26,63,885 01.01.2028	26,63,885 01.02.2028	26,63,885 01.03.2028	26,63,885 01.04.2028	26,63,885 01.05.2028	26,63,885 01.06.2028	26,63,885 01.07.2028	3,32,98,560
सप्तम् वर्ष	39,95,827 01.08.2028	26,63,885 01.09.2028	26,63,885 01.10.2028	26,63,885 01.11.2028	26,63,885 01.12.2028	26,63,885 01.01.2029	26,63,885 01.02.2029	26,63,885 01.03.2029	26,63,885 01.04.2029	26,63,885 01.05.2029	26,63,885 01.06.2029	26,63,885 01.07.2029	3,32,98,560
अष्टम् वर्ष	39,95,827 01.08.2029	26,63,885 01.09.2029	26,63,885 01.10.2029	26,63,885 01.11.2029	26,63,885 01.12.2029	26,63,885 01.01.2030	26,63,885 01.02.2030	26,63,885 01.03.2030	26,63,885 01.04.2030	26,63,885 01.05.2030	26,63,885 01.06.2030	26,63,885 01.07.2030	3,32,98,560
नवम् वर्ष	39,95,827 01.08.2030	26,63,885 01.09.2030	26,63,885 01.10.2030	26,63,885 01.11.2030	26,63,885 01.12.2030	26,63,885 01.01.2031	26,63,885 01.02.2031	26,63,885 01.03.2031	26,63,885 01.04.2031	26,63,885 01.05.2031	26,63,885 01.06.2031	26,63,885 01.07.2031	3,32,98,560
दशम् वर्ष	39,95,827 01.08.2031	26,63,885 01.09.2031	26,63,885 01.10.2031	26,63,885 01.11.2031	26,63,885 01.12.2031	26,63,885 01.01.2032	26,63,885 01.02.2032	26,63,885 01.03.2032	26,63,885 01.04.2032	26,63,885 01.05.2032	26,63,885 01.06.2032	26,63,885 01.07.2032	3,32,98,560
सम्पूर्ण योग:-													33,29,85,600

स्वामित्व कटौती आदि से मुक्त होगा : (2) इस भाग में उल्लिखित स्वामित्व की किस्तों का भुगतान बिना किसी कटौती के राज्य सरकार को जनपद-सोनभद्र के सरकारी कोषागार में जमा किया जायेगा तथा चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेजी जायेगी।
स्वामित्वों का समय पर भुगतान न किया जाये तो कार्यवाही की प्रक्रिया : (3) यदि इस उपस्थापन-पत्र (presents) की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन राज्य सरकार को देय

....7....

K. D. Resources Pvt. Ltd.

Director

ज्येष्ठ खान अधिकारी
सोनभद्रअपर निरीक्षक (वि०/रा०)
प्रभारी अधिकारी (खनिज)जिलाधिकारी
सोनभद्र

(7)

स्वामित्व की किसी किस्त का भुगतान पट्टेदार द्वारा नियत समय के भीतर न किया जाये तो उसे ऐसे अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट करे, प्रमाण-पत्र पर उसी रीति से वसूल की जा सकती है जैसे मालगुजारी का बकाया।

भाग-3

सामान्य उपबन्ध

(1) नियमों प्रसंविदाओं और शर्तों को भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है:—यदि पट्टेदार उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा तथा किसी शर्त को भंग करे तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार को उक्त शर्त भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिए यथोचित अवसर दिया जायेगा।

(2) पट्टेदार पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा:— पट्टेदार इस उपस्थापन-पत्र के आधार पर देय स्वामित्व का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर उक्त अवधि की समाप्ति पर या उसकी शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक कि पट्टा इस भाग के खण्ड-1 के अधीन समाप्त न कर दिया जाए) और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के कम से कम एक कलेण्डर मास में और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में अपने लाभ के लिए ऐसे सभी या किसी इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनायें और अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आवास स्थानों (conveniences) को उखाड़ सकता है और हटा सकता है, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्टेदार द्वारा रखे गये हों।

(3) पट्टे की समाप्ति के पश्चात तीन मास से अधिक समय तक छोड़ी गयी सम्पत्ति की जब्ती:— यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के प्रभावी होने के पश्चात तीन कलेण्डर मास के अन्त में उक्त भूमि या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनायें तथा अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण और अस्थाई आवास स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके सम्बन्ध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात जिसमें जिलाधिकारी द्वारा पट्टेदार से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो एक कलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार द्वारा न उठाये जायें, तो यह समझा जाएगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गई और

....8...

K. D. Resources Pvt. Ltd.

Director

ज्येष्ठ खान अधिकारी
सोनभद्रअपर जिलाधिकारी (वि०/१०)
प्रकारी अधिकारी (खनिज)
सोनभद्रजिलाधिकारी
सोनभद्र

(8)

किसी प्रतिकर का भुगतान किए बिना या उसके सम्बन्ध में पट्टेदार को कोई हिसाब दिए बिना उनकी बिक्री या निस्तारण ऐसी रीति से किया जा सकता है जो राज्य सरकार उचित समझें।

(4) नोटिस :- इस उपस्थापन-पत्र द्वारा पट्टेदार को दिए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्तियों को लिखित रूप से दिया जाएगा, जिसे पट्टेदार ऐसे नोटिस प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो तो ऐसी प्रत्येक नोटिस पट्टेदार को रजिस्टर्ड डाक द्वारा इस पट्टे में उसके अभिलिखित पते पर या भारत में ऐसे पते पर भेजा जाएगा जिसे पट्टेदार समय-समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों को प्राप्त करने के लिए दे और प्रत्येक ऐसी तामील पट्टेदार पर उचित तथा वैध तामील समझी जाएगी और उसके सम्बन्ध में उसके द्वारा न तो आपत्ति की जाएगी और न उसे उपाहृत (challenged) किया जाएगा।

अतिरिक्त शर्त:-

1. वन अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुमोदित खनन योजना संख्या-2021/11/11/91282 दिनांक 30.11.2021 तथा State Level Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), लखनऊ के EC Identification No. EC22B001UP164590 File No. 7057-6724 दिनांक 01.07.2022 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
2. पट्टेदार पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से छः माह के भीतर खनन संक्रियाएं प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाँति करेगा।
3. उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के अध्याय-5 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
4. गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) (उपखनिज) का परिवहन प्रपत्र ई-एम0एम0-11 के माध्यम से किया जायेगा।
5. पट्टेदार उक्त नियमावली, 2021 के नियम-75 के तहत पूर्ववर्ती त्रैमास के सम्बन्ध में प्रत्येक जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह के अन्त तक

....9...

K. D. Resources Pvt. Ltd.

Handwritten Signature
Director



Handwritten Signature
ज्येष्ठ खान अधिकारी
सोनभद्र

Handwritten Signature
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),
प्रमारी अधिकारी (अनिभ)
सोनभद्र

Handwritten Signature
जिलाधिकारी
सोनभद्र

(9)

प्रपत्र एम0एम0-12 में जिलाधिकारी और निदेशक के क्षेत्रीय कार्यालय को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा। विनिर्दिष्ट समय के भीतर त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करने में विफल होने पर रू0 2,000/- का शास्ति का भागी होगा।


6. पट्टाधारक द्वारा जमा की जाने वाली प्रत्येक धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार 2 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि आयकर (टी0सी0एस0) के मद में एवं 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (डी0एम0एफ0), सोनभद्र के मद में तथा अन्य कर जो नियमानुसार देय होगा, जमा करेगा।
7. पट्टाधारक स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्भे को तथा पट्टे से सम्बन्धित सूचना बोर्ड परिनिर्मित करेगा और सदैव अनुरक्षित करेगा और अच्छी स्थिति रखेगा, जो पट्टाविलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक हो।
8. उक्त नियमावली, 2021 के नियम-44 में उपबन्धित की गयी किसी शर्त को भंग करने पर पट्टेदार रू0 50,000/- की शास्ति उद्ग्रहित किये जाने हेतु दायी होगा। शास्ति की उक्त धनराशि जमा करने में विफल होने पर पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती कर ली जायेगी।
9. उक्त नियमावली, 2021 के नियम-35 के उपबन्धों के अनुसार अनुमोदित खनन योजना और स्वच्छता प्रमाण पत्र में उल्लिखित निबन्धनों एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जाता हुआ पाये जाने पर प्रत्येक चूक पर पट्टेदार रू0 50,000/- की दर से ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जिसकी वसूली जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।
10. उक्त नियमावली, 2021 के नियम-36 के अनुसार पट्टाधारक, जिनका खनन पट्टा क्षेत्र 05 हे0 से अधिक है, परिवहन के निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री दृष्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0 टी0वी0 कैमरा लगाने सहित एक चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे पट्टाकृत क्षेत्र से खनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये प्रपत्र ई-एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ा जा सके, और उसका


....10...


K. D. Resources Pvt.Ltd.

Director




 ज्येष्ठ खान अधिकारी
 सोनभद्र


 अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
 प्रभारी अधिकारी (खनिज)
 सोनभद्र


 जिलाधिकारी
 सोनभद्र


(10)

समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सभी सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरो द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिन तक रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन यथा उपबन्धित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उक्त रिकार्डिंग उपलब्ध करायेगा। इसका उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर पट्टाधारक प्रत्येक चूक के लिए प्रतिदिन रू0 25,000/- की दर से शास्ति उद्ग्रहित की जायेगी। ऐसी उद्ग्रहित शास्ति को जमा न करने पर चूक की दशा में उक्त धनराशि की कटौती प्रतिभूति की धनराशि से की जायेगी।

11. नियमावली के प्राविधानों एवं कतिपय शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर उक्त नियमावली, 2021 के नियम-60 के अनुसार पट्टाधारक शास्ति का भागी होगा।
12. खनिजों के परिवहन हेतु जहां ई-एम0एम0-11 जारी किया जायेगा वहां पट्टेदार उपखनिज के विक्रय मूल्य की दर को प्रदर्शित करेगा। यदि राज्य सरकार की राय में अधिकतम विक्रय मूल्य की दर नियत की जानी हो तो राज्य सरकार द्वारा पट्टाधारक को इनके लिए निर्देशित किया जा सकता है।
13. पट्टेदार स्वयं के व्यय पर उपखनिज की निकासी हेतु आवश्यक पहुँच मार्ग का निर्माण करेगा।
14. अनुमोदित अवधि में किये गये खनन कार्य के निरीक्षण के उपरान्त यदि खनन योजना में संशोधन हेतु आदेश दिये जाते हैं, तब संशोधित खनन योजना प्रस्तुत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व पट्टेदार का होगा।
15. आबद्ध नियोजित श्रमिकों को सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने तथा सुरक्षित खनन कार्य करने हेतु सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का दायित्व पट्टेदार का होगा।
16. खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
17. खनन के दौरान व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति के क्षति की दशा में क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी।
18. पट्टेदार उत्पादन/निकासी से सम्बन्धित अभिलेख खनन क्षेत्र पर रखेगा, जिसे जिलाधिकारी अथवा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।

....11...

K. D. Resources Pvt. Ltd.



Director

ज्येष्ठ खान अधिकारी
सोनभद्रअपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
प्रभारी अधिकारी (खनिज)
सोनभद्रजिलाधिकारी
सोनभद्र

(11)

19. खनन श्रमिकों के प्राथमिक चिकित्सा हेतु खनन क्षेत्र पर First Aid Box रखना अनिवार्य होगा तथा उसके लिए शौचालय आदि का समुचित प्रबन्ध करेगा।
20. खदान से उप खनिजों के परिवहन करने वाले मार्ग पर पर्यावरण सुरक्षा का समुचित उपाय किया जायेगा।
21. पट्टेदार स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के अन्दर खनन कार्य करेगा। स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किया जाता हुआ पाये जाने पर पट्टेदार के विरुद्ध उक्त नियमावली, 2021 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
22. पट्टेदार द्वारा नियमावली, 2021 व खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के यथासंशोधित नियमों/धाराओं में उल्लिखित प्राविधानों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
23. वन भूमि अथवा वन स्वरूप भूमि एवं वन स्वरूप भूमि की बाहरी सीमा से 100 मीटर की परिधि के अन्दर कोई खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
24. नियमावली, 2021 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा अथवा किसी शर्त को भंग करने की दशा में राज्य सरकार प्रतिभूति को पूर्णतः अथवा अंशतः जब्त कर सकती है। अन्यथा की स्थिति में पट्टे के अंतिम किस्त में समायोजित की जायेगी।
25. खनन पट्टे के अभ्यर्पण की दशा में पट्टाधारक को राज्य सरकार या अनुवर्ती प्रस्तावक के पक्ष में सम्बन्धित क्षेत्र के लिये प्राप्त पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के अन्तर्ण हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
26. खनन/परिवहन में जन-धन की हानि की समस्त जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी।
27. खदान में निकासी स्थल पर तौल मशीन लगवाकर निदेशालय में स्थापित कमाण्ड सेन्टर में प्रयुक्त आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्ट युक्त सॉफ्टवेयर से इन्टीग्रेट के तौल मशीन में निम्न Features का होना अनिवार्य है:-
 - 1- The Weight bridge device should use the MQTT protocol to transmit data.
 - 2- The Weight bridge device should transmit data over the internet to IOT infrastructure in cloud.

....12...

K. D. Resources Pvt. Ltd.

Director



ज्येष्ठ खान अधिकारी
सोनभद्र

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
प्रभारी अधिकारी (खनिज)
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

(12)

28. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा आपराधिक कार्यवाही योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टेदार द्वारा स्वयं किया जायेगा।
29. पट्टेदार जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्रों में खनन नहीं करेगा।
30. पट्टेदार द्वारा मा० उच्च न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन सदैव किया जायेगा।

(5) **स्टाम्प शुल्क :-** स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित भूमि से प्रत्याशित स्वामित्व कुल 10 वर्ष की कुल धनराशि रू० 33,29,85,600/- (रूपये तैंतीस करोड़ उन्तीस लाख पच्चासी हजार छः सौ मात्र) पर सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, सोनभद्र के पत्र संख्या-249/स०म०नि०-सोन०/2022 दिनांक 04.07.2022 के क्रम में रू० 1,33,19,540/- (रूपये एक करोड़ तैंतीस लाख उन्नीस हजार पांच सौ चालीस मात्र) का स्टाम्प है। प्रतिभूति की धनराशि खनन पट्टा के अन्तिम वर्ष की किश्तों में समायोजित की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त जमा प्रतिभूति पर रू० 100/- का स्टाम्प अलग से दिया गया है।

....13...

K. D. Resources Pvt. Ltd.

Name

Director




ज्येष्ठ खान अधिकारी
सोनभद्र


अपर जिलाधिकारी (वि०/स०)
अधीनस्थ अधिकारी (खनिज)
सोनभद्र


जिलाधिकारी
सोनभद्र


(13)

इसके साक्ष्य के रूप में उपस्थापन पत्र एतदधीन आयी हुई रीति से उपर उल्लिखित दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया है।
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से—
की उपस्थिति में जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित:—


1. 
जिलाधिकारी
सोनभद्र


2. 
अपर जिलाधिकारी (वि०/प०)
प्रभारी अधिकारी (खनिज)
सोनभद्र

3. सुनील कुमार (स्वयंसेवा) 
01/03/22



ज्येष्ठ खान अधिकारी
सोनभद्र

की उपस्थिति में पट्टेदार द्वारा हस्ताक्षरित :-

1. 
Sarhis Azgarwal S/o Shyam
Sunder Azgarwal R/o Korba (C-4)

2. 
Ravi Jalam S/o Late Niranjay Jalam
R/o Robertsganj sonbhadra

K. D. Resources Pvt. Ltd.



Director



आवेदन सं०: 202201005010267

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 7201 के पृष्ठ 119 से 148 तक क्रमांक
8569 पर दिनांक 08/08/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय धर्मराज सिंह
उप निबंधक : सदर
सोनभद्र
08/08/2022

सुप. नि. प्र. 2022/08/24/10 0 3

प्रिंट करें

वर्कशॉप



ANNEXURE R-2

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 1118 / खनिज / 2023

दिनांक 26/07/2023

के०डी० रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड।

निदेशक—श्री मनीष खुशलानी पुत्र श्री राजकुमार खुशलानी
निवासी जबरपत्र गली नं०-2, न्यू सरकण्डा,
बिलासपुर-495001 (छत्तीसगढ़)।

कारण बताओ नोटिस

आपके पक्ष में जनपद सोनभद्र के तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या-5593क (खण्ड-8) रकबा-4.230 हे० क्षेत्र पर गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) का 10 वर्षीय खनन पट्टा दिनांक 02.08.2022 से दिनांक 01.08.2032 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है।

प्रश्नगत क्षेत्र की जाँच निदेशालय की जाँच टीम द्वारा दिनांक 19.07.2023 को की गयी। संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 19.07.2023 में उल्लिखित है कि- पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर दक्षिण दिशा में उपखनिज बोल्डर (डोलो स्टोन) का अनियमित आकार के क्षेत्र से ताजा अवैध खनन कर परिवहन किया गया है, जिसका आकलन सर्वेक्षक द्वारा हैण्ड-हेल्ड जी०पी०एस० मशीन एवं मापन टेप से किया गया, जो निम्नवत है :-

क्र० सं०	अवैध खनन क्षेत्र का भू-निर्देशांक	अवैध खनन का क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	औसत गहराई (मीटर में)	अवैध खनन एवं परिवहन की मात्रा (घ०मी०)
1	24°29'14.01"N, 83°0'13.92"E 24°29'13.50"N, 83°0'13.80"E 24°29'12.74"N, 83°0'14.72"E 24°29'12.72"N, 83°0'15.57"E 24°29'13.60"N, 83°0'16.19"E	1676	1.12	1,877.12

इस प्रकार आप द्वारा उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3 का उल्लंघन किया गया है, जो दण्डनीय अपराध है।

उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में नियम-3 का उल्लंघन पाये जाने पर नियम-58 में निम्नवत् प्राविधान है:-


"58- जो कोई नियम-3 का उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्ध हो जाने पर दोनो में से किसी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पाँच वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अन्यून दो लाख रुपये अथवा अधिकतम पाँच लाख रुपये तक हो सकता है अथवा दोनो दण्डों से दण्डनीय होगा।"

आप द्वारा किये गये अवैध खनन मात्रा 1,877.12 घन मी० बोल्डर पर रू० 125/- प्रति घन मी० की दर से रायल्टी रू० 2,34,640/-, खनिमुख मूल्य रू० 11,73,200/- एवं नियम-58 के अन्तर्गत अर्थदण्ड रू० 5,00,000/- अर्थात् कुल रू० 19,07,840/- (रूपये उन्नीस लाख सात हजार आठ सौ चालीस) मात्र देय होता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 07 दिवस के अन्दर उपरोक्त कृत्य के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न उक्त धनराशि आरोपित कर दी जाय। यदि निर्धारित समयवधि में आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो, यह मानते हुए

51

कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से निर्णय लेते हुए उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के संगत प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।


18.7.23
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।



K D RESOURCES PVT. LTD.

Registered Address : WOOLCHAND COMPLEX, Behind Hotel Surya, Old Bus Stand, Bilaspur 495001 (C.G.)
Address : BIRSINGHPUR, WARD NO 10, PALI, UMARIA (MADHYA PRADESH) 484551
email : kdrplops@gmail.com

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
खनिज अनुभाग,
जनपद - सोनभद्र ।

विषय : श्रीमान जी के कारण बताओ नोटिस पत्र सं० 1148/ खनिज/ 2023 दिनांक 20/07/2023 के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की फर्म के पक्ष में ग्राम बिल्ली मारकुण्डी परगना अगोरी तहसील ओबरा जनपद सोनभद्र के आ०सं० 5593 क (खण्ड-8) रकबा 4.230 हे० क्षेत्र पर गिट्टी/ बोल्डर डोलोस्टोन का दस वर्षीय इ-टेण्डरिंग का खनन पट्टा दिनांक 02/08/2022 से 01/08/2032 तक की अवधि के लिये स्वीकृत है । प्रार्थी द्वारा खनन पट्टा प्रारम्भ होने के बाद से ही समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में नियमानुसार खनन कार्य किया जाता रहा है ।

दिनांक 21/07/2023 को लगभग सायं 4 बजे प्रार्थी की फर्म के अधिकृत ईमेल आई०डी० पर श्रीमान जी द्वारा प्रेषित उक्त कारण बताओ नोटिस प्रार्थी को प्राप्त हुआ एवं तत्पश्चात बिना प्रार्थी के स्पष्टीकरण का इंतज़ार किये प्रार्थी की फर्म का पोर्टल एवं ओ०टी०पी० तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया गया जो विधि विरुद्ध है । उक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में प्रार्थी द्वारा नोटिस प्राप्ति के 7 दिन के अंदर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है ।

- (1) कारण बताओ नोटिस के अनुसार प्रार्थी की खदान की जांच दिनांक 19/07/2023 को की गयी, किन्तु प्रार्थी को इस संबंध में कोई भी जानकारी अथवा पूर्व सूचना नहीं दी गयी, और न ही प्रार्थी अथवा प्रार्थी के किसी अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में कोई जांच की गयी जो नियम विरुद्ध है एवं निरस्त किये जाने योग्य है ।
- (2) उक्त कारण बताओ नोटिस के साथ संलग्नक के रूप में ईमेल आई०डी० पर अथवा डाक के माध्यम से कोई भी जांच रिपोर्ट प्रार्थी को नहीं दी गयी है एवं बिना किसी जांच रिपोर्ट के 1877.12 घनमीटर का अवैध खनन दिखा कर कारण बताओ नोटिस दिया गया है जो नियम विरुद्ध है, नैसर्गिक न्याय के नियमों के विपरीत है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त कारण बताओ नोटिस का समुचित जवाब देने हेतु जांच रिपोर्ट का दिया जाना आवश्यक है ।

24/07/23
कार्यालय खनिज विभाग
सोनभद्र



K D RESOURCES PVT. LTD.

Registered Address : "MOOLCHAND COMPLEX" Behind Hotel Surya, Old Bus Stand, Bilaspur 495001 (C.G.)
Address : BIRSINGHPUR, WARD NO. 10 PALI UMARIA (MADHYA PRADESH) 494551
email : kdrplopx@gmail.com

- (3) उक्त कथित जांच की न तो कोई जांच रिपोर्ट प्रार्थी को दी गयी है, न ही उक्त नोटिस में किसी वस्तु/ उपकरण अथवा उत्पाद की बरामदगी एवं किसी के बयान का कोई उल्लेख है, एवं ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उक्त कथित अवैध खनन प्रार्थी की फर्म द्वारा ही किया गया है।
- (4) उक्त कारण बताओ नोटिस में जिस क्षेत्र पर अवैध खनन दर्शाया गया है उसी क्षेत्र पर पूर्व में 2002 से 2012 तक मे० अमिला स्टोन का पट्टा संचालित था जो उनका भूमिधरी क्षेत्र है। ऐसे में किसी अन्य के भूमिधरी क्षेत्र में खनन किया जाना संभव ही नहीं है एवं यदि वहां पूर्व में किसी के द्वारा खनन किया भी गया है तो उसकी जिम्मेदारी प्रार्थी की नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के अंदर ही खनन किया गया है। प्रार्थी अथवा किसी अधिकृत प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में बिना खदान की सही वस्तुस्थिति जाने भ्रमवश किये गये निरीक्षण के फलस्वरूप पूर्व पट्टाधारक द्वारा किये गये खनन को प्रार्थी की फर्म के उपर आरोपित किया जाना न्यायोचित नहीं है एवं जारी कारण बताओ नोटिस निरस्त किये जाने योग्य है।
- (5) प्रार्थी की फर्म के खनन पट्टा क्षेत्र की जांच समय समय पर की जाती रही है। दिनांक 03/06/2023 को खनन एवं राजस्व की टीम द्वारा जांच की गयी, इसके पश्चात 12/06/2023 को अपर आयुक्त महोदय, मीरजापुर द्वारा पुनः जांच की गयी, तत्पश्चात दिनांक 12/07/2023 को प्रार्थी की खदान की जांच लखनऊ से ही आयी निदेशालय की जांच टीम द्वारा की गयी, किंतु किसी भी जांच में प्रार्थी की फर्म के खनन पट्टे में कोई भी अनियमितता नहीं पायी गयी।
- (6) दिनांक 12/07/2023 को सचिव/ निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, लखनऊ के नेतृत्व में निदेशालय के उच्चस्तरीय जांच दलों द्वारा प्रार्थी की फर्म के खनन पट्टे सहित समस्त खनन पट्टाधारकों की सघन जांच की गयी जिसमें प्रार्थी के प्रत्येक सीमास्तंभों, बोर्ड एवं किये गये खनन की विस्तृत जांच की गयी थी। जनपद सोनभद्र के समस्त इमारती पत्थर खनन पट्टा क्षेत्रों की उक्त जांच के पश्चात निदेशालय के पत्र सं० 639/ एम०-प्रवर्तन सोनभद्र/ 2023 दिनांक 13/07/2023 एवं पत्र सं० 650/ एम०-प्रवर्तन सोनभद्र/ 2023 दिनांक 14/07/2023 में मात्र 4 खनन पट्टाधारकों को ही अवैध खनन का दोषी पाया गया था एवं प्रार्थी की फर्म के खनन पट्टे में कोई भी अनियमितता नहीं पायी गयी थी। ऐसे में उक्त उच्चस्तरीय जांच के मात्र एक सप्ताह के अंदर, वह भी जब वर्षा ऋतु का समय है एवं कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित है, प्रार्थी के उपर 1877.12 घनमीटर के अवैध खनन का आरोप लगाया जाना पूर्वाग्रह से प्रसित, विधि विरुद्ध, एवं नैसर्गिक न्याय के नियमों के विपरीत प्रतीत होता है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

GST NO : 23AADCK2394P274
CIN : U45200CT2007P7C020422

33



T +91 7752 27 0544
M +91 95271-25712

K D RESOURCES PVT. LTD.

Registered Address : "MOOLCHAND COMPLEX", Behind Hotel Surya, Old Bus Stand, Bilaspur 495001 (C.G.)
Address : BIRSINGHPUR, WARD NO. 10 PALI UMARIA (MADHYA PRADESH) 484551
email : kdrplps@gmail.com

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त तथ्यों के साथ प्रस्तुत इस स्पष्टीकरण के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस पत्र सं० 1148/ खनिज/ 2023 दिनांक 20/07/2023 को निक्षेपित/ निरस्त करने एवं प्रार्थी की खनन पट्टा फर्म के पोर्टल एवं ओ०टी०पी० को प्रारम्भ करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

अति कृपा होगी।

दिनांक : 27/07/2023

प्रार्थी

K. D. Resources Pvt. Ltd.


Director

(मनीष खुशलानी)

(निदेशक)

मे० के० डी० रिसोर्सेज प्रा० लि०

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 1411 / खनिज / 2023

दिनांक 02 / 08 / 2023

विषय:- कारण बताओ नोटिस संख्या-1148/खनिज/2023 दिनांक 20.07.2023 के क्रम में जांच आख्या दिनांक 19.07.2023 की प्रति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

के0डी0 रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड

पता-ए 6 मूलचन्द्र कॉम्पेक्स, कर्बला रोड, पुराना बस स्टेशन बिलासपुर

निदेशक-श्री मनीष खुशलानी पुत्र श्री राजकुमार खुशलानी


निवासी जबरपत्र गली नं0-2, न्यू सरकण्डा,

बिलासपुर-495001 (छत्तीसगढ़)।

विषयांकित कारण बताओ नोटिस संख्या-1148/खनिज/2023 दिनांक 20.07.2023 में आप द्वारा दिनांक 27.07.2023 को जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है, कि जांच आख्या की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है, और उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः आपके जवाब दिनांक 27.07.2023 के क्रम में निदेशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा दिनांक 19.07.2023 को आपके फर्म का किये गये निरीक्षण की छायाप्रति संलग्न कर अपेक्षा की जाती है, कि आप 03 दिवस के अन्दर अपना उत्तर अवश्य प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में यह मान लिया जायेगा, कि आपको कुछ नहीं कहना है। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक:- यथोपरि।


28/08/23
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
सोनभद्र।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ के निर्देश के क्रम में आज दिनांक 19.07.2023 को जनपद- सोनभद्र में संचालित निम्न खनन पट्टा क्षेत्र की जाँच की गयी। जाँच आख्या निम्नवत् है :-


1- के0डी0 रिसॉर्सेज प्राईवेट लिमिटेड, पता- ए 6 मूलचन्द्र कॉम्पेक्स, कर्वला रोड, पुराना बस स्टेशन विलासपुर निदेशक- श्री मनीष खुशलानी पुत्र श्री राजकुमार खुशलानी, निवासी जबरपत्र गली नं0-2, न्यू सरकण्डा, विलासपुर- 495001 (छत्तीसगढ़) के पक्ष में तहसील- ओवरा, ग्राम- विल्ली मारकुण्डी के आ0सं0- 5593क (खण्ड-8), रकबा- 4.230 हे0 क्षेत्र पर गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) का 10 वर्षीय खननपट्टा दिनांक 02.08.2022 से 01.08.2032 तक की अवधि के लिये स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर दक्षिण दिशा में उपखनिज बोल्डर (डोलो स्टोन) का अनियमित आकार के क्षेत्र से ताजा अवैध खनन कर परिवहन किया गया है, जिसका आकलन सर्वेक्षक द्वारा हैण्ड-हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन एवं मापन टेप से किया गया, जो निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	अवैध खनन क्षेत्र का भू-निर्देशांक	अवैध खनन का क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	औसत गहराई (मीटर में)	अवैध खनन एवं परिवहन की मात्रा (घ0मी0)
1	24°29'14.01"N, 83°0'13.92"E 24°29'13.50"N, 83°0'13.80"E 24°29'12.74"N, 83°0'14.72"E 24°29'12.72"N, 83°0'15.57"E 24°29'13.60"N, 83°0'16.19"E	1676	1.12	1,877.12

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर 1,877.12 घ0मी0 उपखनिज (डोलो स्टोन) का अवैध खनन/परिवहन किया गया है।

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संलग्नक :- फोटोग्राफ।


19/07/2023

(योगेश शुक्ला)
सर्वेक्षक, खनिज विभाग,
सोनभद्र।


19/7/23

(मनोज कुमार)
सर्वेक्षक, मुख्यालय
लखनऊ।


19/7/23


(सुखेन्द्र सिंह)
खान निरीक्षक,
चन्दौली।




(मनीष यादव)
खान अधिकारी,
मुख्यालय, लखनऊ


19/7/23

(वीरेंद्र प्रताप सिंह)
खान अधिकारी,
मुख्यालय, लखनऊ।


19/7/23

(आशीष चौधरी)
सहायक भू-वैज्ञानिक,
मुख्यालय, लखनऊ



25/11/2014
Dr. A. M.

K D RESOURCES PVT. LTD.

Registered Address: SOOLCHAND SEMBLES, BHEL, WARD NO. 10, PHASE-IV, WARDHA, MAHARASHTRA INDIA-431001
 Address: 1, HSI, CHINAI WARD NO. 10, PHASE-IV, WARDHA, MAHARASHTRA INDIA-431001
 Phone: 020-22001200/22001201

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
 खनिज अनुभाग,
 जनपद - सोनभद्र ।

ANNEXURE R-5

विषय : श्रीमान जी के कारण बताओ नोटिस पत्र सं० 1148/ खनिज/ 2023 दिनांक 20/07/2023 एवं पत्र सं० 1411/ खनिज/ 2023 दिनांक 02/08/2023 के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की फर्म के पक्ष में ग्राम बिल्ली मारकुण्डी परगना अगोरी तहसील ओबरा जनपद सोनभद्र के आ०सं० 5593 क (खण्ड-8) रकबा 4.230 हे० क्षेत्र पर गिट्टी/ बोल्टर डोलोस्टोन का दस वर्षीय इ-टेण्डरिंग का खनन पट्टा दिनांक 02/08/2022 से 01/08/2032 तक की अवधि के लिये स्वीकृत है । प्रार्थी द्वारा खनन पट्टा प्रारम्भ होने के बाद से ही समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में नियमानुसार खनन कार्य किया जाता रहा है ।

दिनांक 21/07/2023 को लगभग सायं 4 बजे प्रार्थी की फर्म के अधिकृत ईमेल आई०डी० पर श्रीमान जी द्वारा प्रेषित उक्त कारण बताओ नोटिस पत्र सं० 1148/ खनिज/ 2023 दिनांक 20/07/2023 प्रार्थी को प्राप्त हुआ एवं तत्पश्चात बिना प्रार्थी के स्पष्टीकरण का इंतजार किये प्रार्थी की फर्म का पोर्टल एवं ओ०टी०पी० तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया गया जो विधि विरुद्ध है । उक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में प्रार्थी द्वारा नोटिस प्राप्ति के 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दिनांक 27/07/2023 को श्रीमान जी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था ।

प्रार्थी के स्पष्टीकरण दिनांक 27/07/2023 के क्रम में श्रीमान जी द्वारा अपने पत्र सं० 1411/ खनिज/ 2023 दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रार्थी को जांच आख्या दिनांक 19/07/2023 उपलब्ध कराया गया है जो प्रार्थी को दिनांक 04/08/2023 दोपहर लगभग 3 बजे प्रार्थी की फर्म के अधिकृत ईमेल आई०डी० पर प्राप्त हुआ है । उक्त के संबंध में श्रीमान जी द्वारा प्रार्थी से मात्र 3 दिवस के अंदर पुनः उत्तर की अपेक्षा की गयी है जो विधि विरुद्ध है । उक्त के संबंध में प्रार्थी का स्पष्टीकरण निम्नलिखित है ।

उक्त जांच आख्या दिनांक 19/07/2023 में कारण बताओ नोटिस पत्र सं० 1148/ खनिज/ 2023 दिनांक 20/07/2023 से भिन्न कोई तथ्य व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं यह परिलक्षित होता है कि उक्त जांच आख्या अपर्याप्त, अव्यवहारिक, अपूर्ण एवं प्रार्थी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में की गयी जांच की आख्या है । उक्त जांच आख्या दिनांक 19/07/2023 में किसी भी वस्तु/ उपकरण अथवा उत्पाद की बरामदगी एवं किसी के बयान का कोई उल्लेख नहीं है, एवं ऐसा कोई भी साक्ष्य

K D RESOURCES PVT. LTD.

Registered Address: MOOLCHAND COMPLEX Behind Hotel Surya, Old Bus Stand, Gitaapur 495001 (C.G.)
Address: BIRSINGPUR, WARD NO. 10, PALI, UMARIA (MADHYA PRADESH) 484551
Email: kdresources@gmail.com

प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उक्त कथित अवैध खनन प्रार्थी की फर्म द्वारा ही किया गया है।

उक्त कारण बताओ नोटिस में जिस क्षेत्र पर अवैध खनन दर्शाया गया है उसी क्षेत्र पर पूर्व में 2002 से 2012 तक मे० अमिला स्टोन का पट्टा संचालित था जो उनका भूमिधरी क्षेत्र है। ऐसे में किसी अन्य के भूमिधरी क्षेत्र में खनन किया जाना संभव ही नहीं है एवं यदि वहां पूर्व में किसी के द्वारा खनन किया भी गया है तो उसकी जिम्मेदारी प्रार्थी की नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के अंदर ही खनन किया गया है। प्रार्थी अथवा किसी अधिकृत प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में बिना खदान की सही वस्तुस्थिति जाने भ्रमवश किये गये निरीक्षण के फलस्वरूप पूर्व पट्टाधारक द्वारा किये गये खनन को प्रार्थी की फर्म के उपर आरोपित किया जाना न्यायोचित नहीं है एवं जारी कारण बताओ नोटिस निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी की फर्म के खनन पट्टा क्षेत्र की जांच समय समय पर की जाती रही है। दिनांक 03/06/2023 को खनन एवं राजस्व की टीम द्वारा जांच की गयी, इसके पश्चात 12/06/2023 को अपर आयुक्त महोदय, मीरजापुर द्वारा पुनः जांच की गयी, तत्पश्चात दिनांक 12/07/2023 को प्रार्थी की खदान की जांच लखनऊ से ही आयी निदेशालय की जांच टीम द्वारा की गयी, किंतु किसी भी जांच में प्रार्थी की फर्म के खनन पट्टे में कोई भी अनियमितता नहीं पायी गयी।

दिनांक 12/07/2023 को सचिव/ निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, लखनऊ के नेतृत्व में निदेशालय के उच्चस्तरीय जांच दलों द्वारा प्रार्थी की फर्म के खनन पट्टे सहित समस्त खनन पट्टाधारकों की सघन जांच की गयी जिसमें प्रार्थी के प्रत्येक सीमास्तंभों, बोर्ड एवं किये गये खनन की विस्तृत जांच की गयी थी। जनपद सोनभद्र के समस्त इमारती पत्थर खनन पट्टा क्षेत्रों की उक्त जांच के पश्चात निदेशालय के पत्र सं० 639/ एम०-प्रवर्तन सोनभद्र/ 2023 दिनांक 13/07/2023 एवं पत्र सं० 650/ एम०-प्रवर्तन सोनभद्र/ 2023 दिनांक 14/07/2023 में मात्र 4 खनन पट्टाधारकों को ही अवैध खनन का दोषी पाया गया था एवं प्रार्थी की फर्म के खनन पट्टे में कोई भी अनियमितता नहीं पायी गयी थी। ऐसे में उक्त उच्चस्तरीय जांच के मात्र एक सप्ताह के अंदर, वह भी जब वर्षा ऋतु का समय है एवं कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित है, प्रार्थी के उपर 1877.12 घनमीटर के अवैध खनन का आरोप लगाया जाना पूर्वाग्रह से ग्रसित, विधि विरुद्ध, एवं नैसर्गिक न्याय के नियमों के विपरीत प्रतीत होता है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांक 27/07/2023 में भी उक्त तथ्यों को प्रस्तुत किया गया था।

39
GST NO : 22AAAD002394P274
CIN : U45200CT2007PTC0929422



T : 91 7752 27 0544
M : 91 95271-25712

K D RESOURCES PVT. LTD.

Registered Address : MOGLCHAND COMPLEX Behind Hotel Surya, Old Bus Stand, Bilaspur 495001 (C.G.)
Address : BIRSINGHPUR, WARD NO. 10 PALLI UMARIA INADHYA PRADESHI 494551
email : kdrpvt@gmail.com

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त तथ्यों के साथ प्रस्तुत इस स्पष्टीकरण के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस पत्र सं० 1148/ खनिज/ 2023 दिनांक 20/07/2023 को निक्षेपित/ निरस्त करने एवं प्रार्थी की खनन पट्टा फर्म के पोर्टल एवं ओ०टी०पी० को प्रारम्भ करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

अति कृपा होगी।

दिनांक : 05/08/2023

प्रार्थी

K. D. Resources Pvt. Ltd.

Director

(मनीष खुशलानी)

(निदेशक)

मे० के० डी० रिसोर्सिज प्रा० लि०

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।
(खनिज अनुभाग)

ANNEXURE R-6

पत्रांक 1478 / खनिज / 2023

दिनांक 08 / 08 / 2023

आदेश

मे० के०डी० रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड पता-ए 6 मूलचन्द्र कॉम्पेक्स, कर्बला रोड, पुराना बस स्टेशन बिलासपुर निदेशक-श्री मनीष खुशलानी पुत्र श्री राजकुमार खुशलानी निवासी जबरपत्र गली नं०-2, न्यू सरकण्डा, बिलासपुर-495001 (छत्तीसगढ़) के पक्ष में जनपद सोनभद्र के तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या-5593क (खण्ड-8) रकबा-4.230 हे० क्षेत्र पर गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) का 10 वर्षीय खनन पट्टा दिनांक 02.08.2022 से दिनांक 01.08.2032 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है, जिसका जी०पी०एस०- 24°29' 14.46"N 83°00' 11.61"E, 24°29' 19.18"N 83°00' 10.45"E, 24°29' 21.51"N 83°00' 09.89"E, 24°29' 21.06"N 83°00' 13.23"E, 24°29' 20.60"N 83°00' 13.09"E, 24°29' 19.83"N 83°00' 12.98"E, 24°29' 19.40"N 83°00' 14.86"E, 24°29' 19.96"N 83°00' 15.08"E, 24°29' 19.34"N 83°00' 19.31"E, 24°29' 19.31"N 83°00' 17.69"E है।

प्रश्नगत क्षेत्र की जाँच निदेशालय की जाँच टीम द्वारा दिनांक 19.07.2023 को की गयी। संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 19.07.2023 में उल्लिखित है कि - पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर दक्षिण दिशा में उप खनिज बोल्डर (डोलो स्टोन) का अनियमित आकार के क्षेत्र में ताजा अवैध खनन कर परिवहन किया गया है, जिसका आकलन हैण्ड-हेल्ड जी०पी०एस० मशीन एवं मापन टेप से किया गया, जो निम्नवत है:-

क्र० सं०	अवैध खनन क्षेत्र का भू-निर्देशांक	अवैध खनन का क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	औसत गहराई (मीटर में)	अवैध खनन एवं परिवहन की मात्रा (घ०मी०)
1	24°29'14.01"N, 83°0'13.92"E 24°29'13.50"N, 83°0'13.80"E 24°29'12.74"N, 83°0'14.72"E 24°29'12.72"N, 83°0'15.57"E 24°29'13.60"N, 83°0'16.19"E	1676	1.12	1877.12

पट्टाधारक का उक्त कृत्य उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3 का उल्लंघन किया गया है, जो दण्डनीय अपराध है। उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-1048/खनिज/2023 दिनांक 20.07.2023 द्वारा नोटिस निर्गत की गयी। नोटिस के क्रम में पट्टाधारक द्वारा दिनांक 27.07.2023 को अपना उत्तर/जवाब प्रस्तुत कर जाँच आख्या की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उक्त के क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या-1411/खनिज/2023 दिनांक 02.08.2023 द्वारा पंजीकृत डाक/ई-मेल द्वारा पट्टाधारक को निरीक्षण आख्या की प्रति मय संलग्नक उपलब्ध करा दी गयी।

पट्टाधारक द्वारा दिनांक 05.08.2023 को प्रार्थना पत्र/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें मुख्य रूप से उल्लिखित है कि- जाँच दिनांक 19.07.2023 में किसी भी वस्तु/उपकरण अथवा उत्पाद की बरामदगी अथवा किसी भी बयान का उल्लेख नहीं और ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, कि उक्त कथित अवैध खनन उनके द्वारा किया गया है। जाँच में जिस क्षेत्र में अवैध खनन दर्शाया गया है, उस क्षेत्र में पूर्व में निजी भूमि का खनन पट्टा संचालित था, जिससे किसी अन्य के भूमिधरी में खनन किया जाना सम्भव नहीं है। यह भी अवगत कराया गया कि है कि दिनांक 03.06.2023 को खनन एवं राजस्व की टीम तथा दिनांक 12.06.2023 को अपर आयुक्त महोदय, मीरजापुर द्वारा जाँच की गयी। तत्पश्चात दिनांक 12.07.2023 को सचिव/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के नेतृत्व में पट्टाधारक के फर्म के खनन पट्टे सहित समस्त खनन

५-

पट्टाधारको के खनन क्षेत्रों की सघन जाँच की गयी, जिसके उपरान्त निदेशालय के पत्र दिनांक 13.07.2023 व 14.07.2023 में 04 खनन पट्टाधारको को खनन का दोषी पाया गया था एवं पट्टाधारको के खनन पट्टे में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी थी, जिसके कारण एक सप्ताह के अन्दर पट्टाधारको के ऊपर 1877.12 घन मी० बोल्डर के अवैध खनन का आरोप लगाया जाना विधि विरुद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के नियमों के विपरीत है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

पट्टाधारको के उत्तर/स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में परिशीलन किया गया। पट्टाधारको द्वारा पूर्व में जिस अवैध खनन की बात कही जा रही है, वह वर्ष 2018 के पूर्व का है, जबकि खनन पट्टाधारको का पट्टाविलेख दिनांक 02.08.2022 को निष्पादित होकर संचालित हुआ है। पट्टाधारको ने अपने जवाब में 04 वर्ष पूर्व के खनन का हवाला दिया गया है, जो औचित्यपूर्ण नहीं है। निदेशालय की जाँच टीम, जिसमें सहायक भूवैज्ञानिक, खान अधिकारी, खान निरीक्षक, सर्वेक्षक मौजूद थे, उनके द्वारा पाया गया कि पट्टाधारको के स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर दक्षिण दिशा में, जो अवैध खनन किया गया है, उसके पिट्स ताजा है। हैण्ड हेल्ड एवं जी०पी०एस० मापन में भू-निर्देशांक 24°29'14.01"N, 83°0'13.92"E, 24°29'13.50"N, 83°0'13.80"E, 24°29'12.74"N, 83°0'14.72"E, 24°29'12.72"N, 83°0'15.57"E, 24°29'13.60"N, 83°0'16.19"E के अन्तर्गत 1877.50 घन मी० का अवैध खनन एवं परिवहन किया गया है। इस प्रकार अवैध खनन के सम्बन्ध में पट्टाधारको द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं है, जिसे अस्वीकार किया जाता है।

अतः अवैध खनन मात्रा 1877.12 घन मी० बोल्डर पर रू० 125/- प्रति घन मी० की दर से रायल्टी रू० 2,34,640/-, खनिमुख मूल्य रू० 11,73,200/- एवं नियम-58 के अन्तर्गत अर्थदण्ड रू० 5,00,000/- कुल रू० 19,07,840/- (रूपये उन्नीस लाख सात हजार आठ सौ चालीस) मात्र की धनराशि अधिरोपित की जाती है।

खनन पट्टाधारको के०डी० रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड पता-ए 6 मूलचन्द्र कॉम्पेक्स, कर्बला रोड, पुराना बस स्टेशन बिलासपुर निदेशक-श्री मनीष खुशलानी पुत्र श्री राजकुमार खुशलानी निवासी जबरपत्र गली नं०-2, न्यू सरकण्डा, बिलासपुर-495001 (छत्तीसगढ़) द्वारा उपरोक्त अधिरोपित धनराशि 07 दिवस में जमा न करने पर नियमानुसार प्रतिभूति की धनराशि से अथवा भू-राजस्व के रूप में वसूली की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-59 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टा निरस्त कर दो वर्ष की अवधि हेतु काली सूची में डाल दिया जायेगा।

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

पत्रांक व तद दिनांक

प्रतिलिपि:- के०डी० रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड पता-ए 6 मूलचन्द्र कॉम्पेक्स, कर्बला रोड, पुराना बस स्टेशन बिलासपुर निदेशक-श्री मनीष खुशलानी पुत्र श्री राजकुमार खुशलानी निवासी जबरपत्र गली नं०-2, न्यू सरकण्डा, बिलासपुर-495001 (छत्तीसगढ़) को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।



K D RESOURCES PVT. LTD.

Registered Address : MOOLCHAND COMPLEX Behind Hotel Surya, Old Bus Stand, Bilaspur 495001 (C.G.)
Address : BIRSINGHPUR, WARD NO 10 PALI UMARIA (MADHYA PRADESH) 494551
email : kdrplopt@gmail.com

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
खनिज अनुभाग,
जनपद - सोनभद्र ।

विषय : श्रीमान जी के आदेश पत्र सं० 1478/ खनिज/ 2023 दिनांक 08/08/2023 के संबंध में ।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की फर्म के पक्ष में ग्राम बिल्ली मारकुण्डी परगना अगोरी तहसील ओबरा जनपद सोनभद्र के आ०सं० 5593 क (खण्ड-8) रकबा 4.230 हे० क्षेत्र पर गिट्टी/ बोल्टर डोलोस्टोन का दस वर्षीय इ-टेण्डरिंग का खनन पट्टा दिनांक 02/08/2022 से 01/08/2032 तक की अवधि के लिये स्वीकृत है । प्रार्थी द्वारा खनन पट्टा प्रारम्भ होने के बाद से ही समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में नियमानुसार खनन कार्य किया जाता रहा है ।

कृपया अपने आदेश पत्र सं० 1478/ खनिज/ 2023 दिनांक 08/08/2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जो दिनांक 09/08/2023 को दोपहर लगभग 12 बजे प्रार्थी को अधिकृत ईमेल आई०डी० पर श्रीमान जी द्वारा प्रेषित कारण बताओ नोटिस पत्र सं० 1148/ खनिज/ 2023 दिनांक 20/07/2023 एवं पत्र सं० 1411/ खनिज/ 2023 दिनांक 02/08/2023 के संबंध में प्रार्थी के स्पष्टीकरण दिनांक 27/07/2023 एवं स्पष्टीकरण दिनांक 05/08/2023 में उल्लिखित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये प्रार्थी की फर्म पर स्वीकृत क्षेत्र से हट कर 1877.12 घनमीटर बोल्टर के अवैध खनन के आरोप में ₹ 19,07,840 की धनराशि अधिरोपित करते हुये सात दिवस में जमा करने हेतु आदेशित किया गया था ।

प्रार्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांक 27/07/2023 एवं स्पष्टीकरण दिनांक 05/08/2023 में यह उल्लेख किया गया था कि जिस क्षेत्र पर अवैध खनन दर्शाया गया है उसी क्षेत्र पर पूर्व में 2002 से 2012 तक मे० अमिला स्टोन का पट्टा संचालित था जो उनका भूमिधरी क्षेत्र है । ऐसे में किसी अन्य के भूमिधरी क्षेत्र में खनन किया जाना संभव ही नहीं है एवं यदि वहां पूर्व में किसी के द्वारा खनन किया भी गया है तो उसकी जिम्मेदारी प्रार्थी की नहीं है । उसी स्थल पर पूर्व के खनन को प्रदर्शित करते हुये प्रार्थी की फर्म पर 1877.12 घनमीटर का अवैध खनन आरोपित कर दिया गया एवं श्रीमान जी द्वारा बिना किसी प्रमाण के प्रार्थी के स्पष्टीकरण में उल्लिखित उक्त तथ्यों को अस्वीकार कर दिया गया ।

इसी प्रकार विगत एक वर्ष में प्रार्थी के पट्टे की कई बार जांच में प्रार्थी के पट्टे में कभी भी कोई अवैध खनन अथवा अनियमितता नहीं पायी गयी । दिनांक 12/07/2023 को सचिव/ निदेशक भूतत्व एवं

K D RESOURCES PVT. LTD.

Registered Address : 'WOOLCHAND COMPLEX', Behind Hotel Surya, Old Bus Stand, Bilaspur 495001 (C.G.)
Address : BIRSINGHPUR, WARD NO. 10, PALI UMARIA (MADHYA PRADESH) 484551
email : kdrplopa@gmail.com

खनिकर्म, लखनऊ के नेतृत्व में निदेशालय के उच्चस्तरीय जांच दलों द्वारा प्रार्थी की फर्म के खनन पट्टे की सघन जांच में भी कोई भी अनियमितता नहीं पायी गयी थी। ऐसे में उक्त उच्चस्तरीय जांच के मात्र एक सप्ताह के अंदर उसी जांच टीम द्वारा 1877.12 घनमीटर का स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन का आरोप लगाया जाना आश्चर्यजनक है। प्रार्थी के पत्र दिनांक 27/07/2023 एवं पत्र दिनांक 05/08/2023 में उक्त के संबंध में दिये गये स्पष्टीकरण को श्रीमान जी के आदेश पत्र सं० 1478/ खनिज/ 2023 दिनांक 08/08/2023 में बिना किसी कारण अस्वीकार कर दिया गया है जो सर्वथा गलत है। श्रीमान जी के आदेश में प्रार्थी के स्पष्टीकरण में उल्लिखित तथ्यों को जिन आधार पर असंतोषजनक बताया गया है वह अपर्याप्त एवं अस्वीकार्य है।

चूंकि प्रार्थी की भारी धनराशि उक्त कार्य में लगी हुयी है एवं खनन परिवहन का कार्य व पोर्टल/ ओ०टी०पी० बन्द होने से प्रार्थी की भारी आर्थिक क्षति हो रही है इसलिये प्रार्थी द्वारा उक्त अधिरोपित धनराशि से असहमत होने के बावजूद श्रीमान जी के आदेश पत्र सं० 1478/ खनिज/ 2023 दिनांक 08/08/2023 जो दिनांक 09/08/2023 को दोपहर लगभग 12 बजे प्रार्थी को अधिकृत ईमेल आई०डी० पर प्राप्त हुआ है में अधिरोपित धनराशि ₹ 19,07,840 **UNDER PROTEST** श्रीमान जी के पक्ष में कोटक महिन्द्रा बैंक, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र के डिमांड ड्राफ्ट सं० 907575 दिनांक 16/08/2023 द्वारा जमा कर पत्र में उल्लिखित वांछित अवधि सात दिन के अन्दर श्रीमान जी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में भविष्य में माननीय न्यायालयों के जो भी निर्णय होंगे वह उभय पक्षों को मान्य होंगे।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आदेश पत्र सं० 1478/ खनिज/ 2023 दिनांक 08/08/2023 में अधिरोपित धनराशि के प्रार्थी द्वारा जमा कर प्रस्तुत किये जाने के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से प्रार्थी की खनन पट्टा फर्म के खनन परिवहन एवं पोर्टल व ओ०टी०पी० को प्रारम्भ करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

अति कृपा होगी।

दिनांक : 16/08/2023

संलग्नक : डिमांड ड्राफ्ट सं० 907575 की मूल प्रति।

प्रार्थी

K. D. Resources Pvt. Ltd.

Director

(मनीष खुशलानी)

(निदेशक)

मे० के० डी० रिसोर्सज प्रा० लि०



44
907575

Valid for three months from date of issue

दिनांक
Date

1 6 0 8 2 0 2 3

914

5302-SONBHADRA

Demand pay

DISTRICT MAGISTRATE SONBHADRA

को या उनके आदेश पर Or Order

₹ Rupees

Nineteen Lakh Seven Thousand Eight Hundred Forty only
अदा करें।

₹ 19,07,840.00

payable At

*** Not Over INR. 19,07,840.00 ***

For Value Received
for Kotak Mahindra Bank Ltd.

[Handwritten signatures and stamps]

SONBHADRA
(5302)

Purchaser:
K D RESOURCES PRIVATE LIMITED

Please sign above this line

⑈907575⑈ 000485000⑈

है

ANNEXURE R-8

उत्तर प्रदेश शासन
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
संख्या- 53 / पी0एस0एम0 / 2023
लखनऊ, दिनांक, 21 नवम्बर, 2023
निगरानी सं0-119(आर) / जी0एंडएम0(यू0पी0) / 2023

कार्यालय-ज्ञाप

विषयगत निगरानी उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-80 के अन्तर्गत मेसर्स के0डी0 रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड पता-ए-6 मूलचन्द्र कॉम्प्लेक्स, कर्बला रोड पुराना बस स्टेशन बिलासपुर निदेशक, श्री मनीष खुशलानी पुत्र श्री राजकुमार खुशलानी निवासी-जबरपत्र गली नं0-02 न्यु सरकण्डा बिलासपुर-495001 (छत्तीसगढ़) ने जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2023 एवं निदेशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म की टीम द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 19.07.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

संक्षेप में निगरानीकर्ता का कथन है कि जनपद-सोनभद्र के तहसील ओबरा स्थित ग्राम बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या-5593क (खण्ड 8) रकबा 4.230 हे0 क्षेत्र पर गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) का 10 वर्षीय खनन पट्टा दिनांक 02.08.2022 से दिनांक 01.08.2032 तक की अवधि के लिए निगरानीकर्ता के पक्ष में स्वीकृत किया गया। निगरानीकर्ता को नोटिस दिनांक 20.07.2023 प्राप्त हुई जिसमें यह उल्लेख किया गया कि निदेशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म की टीम द्वारा किये गये जॉच में निगरानीकर्ता द्वारा 1877 घनमी0 उप खनिज का अवैध खनन किया गया है जिसके सापेक्ष निगरानीकर्ता पर कुल रू0 19,07,840/- अधिरोपित किया गया साथ ही निगरानीकर्ता को 07 दिवस के अन्दर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया। दिनांक 27.07.2023 को निगरानीकर्ता ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जिसमें लगाये गये सभी आरोपो का खण्डन किया। उक्त नोटिस दिनांक 20.07.2023 नोटिस नहीं बल्कि आदेश के रूप में पारित किया गया। उक्त नोटिस/आदेश निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर पारित किया गया। उक्त नोटिस में निगरानीकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा मौके पर अवैध खनन किया जाना नहीं दर्शाया गया और न ही किसी वाहन को अवैध खनन में लिप्त पाया गया। दिनांक 20.07.2023 से ही ओ0टी0पी0 बन्द कर दी गयी जिससे खनन कार्य बन्द हो गया। जिलाधिकारी, सोनभद्र ने निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण अस्वीकार कर दिया तथा दिनांक 08.08.2023 को आदेश पारित कर निगरानीकर्ता पर अवैध खनन के सापेक्ष कुल धनराशि 19,07,840/- 07 दिवस के अन्दर जमा करने को निर्देशित किया। अन्त में निगरानीकर्ता द्वारा जिलाधिकारी सोनभद्र के आदेश दिनांक 08.08.2023 एवं निदेशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म की टीम द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 19.07.2023 को निरस्त करने अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत निगरानी की ग्राह्यता के संबंध में सुनवाई दिनांक 07.11.2023 को सम्पन्न हुई। निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाती है। तदनुसार सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाय। निगरानी में सुनवाई की तिथि 07.12.2023 नियत की जाती है।

उक्त निगरानी की सुनवाई प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन के नवीन भवन स्थित कार्यालय कक्ष सं0-30 में नियत तिथि को अपरान्ह 4.00 बजे की जायेगी।

अतः निगरानीकर्ता/विपक्षी से अपेक्षा की जाती है कि कृपया नियत तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हों। उक्त नियत तिथि को सुनवाई में अनुपस्थित रहने की स्थिति में निगरानी की एकपक्षीय सुनवाई करके उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णीत कर दिया जायेगा।

(अनिल कुमार-111)
प्रमुख सचिव।

पत्र सं०- 53/(1)/पी0एस0एम0/2023 तददिनांक।
प्रतिलिपि:-

- 1- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, सोनभद्र को निगरानी के प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि नियत तिथि एवं समय पर किसी भिन्न अधिकारी को संक्षिप्त सार एवं प्रस्तरवार आख्या, अभिलेखों की छायाप्रति (02 प्रतियों में) सहित उपस्थित रहने एवं प्रस्तरवार आख्या को निगरानी पोर्टल upminesrevision.upsdc.gov.in पर अपलोड करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 3- मेसर्स के०डी० रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड पता-ए-6 मूलचन्द्र कॉम्प्लेक्स, कर्बला रोड पुराना बस स्टेशन बिलासपुर निदेशक, श्री मनीष खुशलानी पुत्र श्री राजकुमार खुशलानी निवासी-जबरपत्र गली नं०-02 न्यु सरकण्डा बिलासपुर-495001 (छत्तीसगढ़)।

(अनिल कुमार-111)
प्रमुख सचिव।



ANNEXURE R-9

Compliance of the stipulated Environmental Conditions/Safeguards in the Environmental Clearance Letter and Environmental Monitoring Report Of Building Stone Gitti - Boulder (Dolo Stone) Mining Project At Arazi No./Khand No. - 5593/8 At Village- Billimarkundi, Tehsil- Obra, District-Sonbhadra, Uttar Pradesh (AREA - 4.230 HA.) (Production 1,35,360 m3/Year)

1 message

Compliance & Replenishment Report <compliance1234@gmail.com>

Thu, Jul 4, 2024 at 7:14 AM

To: rocz.lko-mef@nic.in, doeuplko@yahoo.com, rosonbhadra@uppcb.in

To
The Regional Officer,
Ministry of Environment & Forest, Govt. of India
5th Floor KendriyaBhawan, Sector H, Aliganj
Lucknow-226020

Subject: Compliance of the stipulated Environmental Conditions/Safeguards in the Environmental Clearance Letter and Environmental Monitoring Report Of Building Stone Gitti - Boulder (Dolo Stone) Mining Project At Arazi No./Khand No. - 5593/8 At Village- Billimarkundi, Tehsil- Obra, District-Sonbhadra, Uttar Pradesh (AREA - 4.230 HA.) (Production 1,35,360 m3/Year)

Ref: Environment Clearance Letter no. EC Identification No- EC22B001UP164590 Date: 01/07/2022 Ref No. - SIA/UP/MIN/76298/2021 & SEIAA, U.P File No. 7057-6724

Dear Sir,

This has reference to the EC letter no **EC Identification No- EC22B001UP164590 Date: 01/07/2022 Ref No. - SIA/UP/MIN/76298/2021 & SEIAA, U.P File No. 7057-6724** Issued by State Level Environmental Impact Assessment Authority, Uttar-Pradesh which I have been asked to submit the compliance with the specific and general conditions of the same.

As per the notification S.O. 5845(E) by Ministry Of Environment, Forest And Climate Change (MoEF&CC) Dated 28/11/2018, MoEF&CC has withdrawn the requirement of mandatory hard copies of compliance reports to departments ,hence we are submitting the soft copy of the Report to you for your perusal.

In view of above, I am submitting a copy of the following information/ documents for your kind perusal:

1. Point-wise compliance of the stipulated environmental conditions/ safeguards. **(Session: JUNE 2024)**

Thanking you,

Yours Sincerely,

K.D RESOURCES PVT. LTD.

Authorised Signatory

Copy to:

1. The Member Secretary, Uttar-Pradesh State Pollution Control Board, Lucknow
2. The Member Secretary, State Level Environmental Impact Assessment Authority, Lucknow

Encl: As Abov

STONE K D RESOURCE.pdf
9993K